

दिनांक-12.01.2015 को पटना मास्टर प्लान, 2031 के प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन हेतु गठित समिति के बैठक में विमर्शित बिन्दुओं का सारांशित विवरण एवं कार्यवाही प्रतिवेदन : -

(उपस्थिति : संलग्न)

1) समिति द्वारा मास्टर प्लान के प्रारूप की समीक्षा हेतु विचारणीय बिन्दुओं, यथा सेप्ट विश्वविद्यालय, अहमदाबाद से एकरारनामा के अनुसार Scope of work, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 सह-पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014, बिहार भवन उपविधि, 2014, Streer Vender Act, 2014 एवं संबंधित अन्य अधिनियम, नियमावली, नीति, आधारभूत संरचना के महत्वपूर्ण परियोजनाओं, मास्टर प्लान के प्रारूप पर प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियाँ, प्रस्तुतीकरण के क्रम में विमर्शित बिन्दुओं एवं दिशा-निदेश, संशोधित UDPEI Guidelines, नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त सुझाव एवं समीक्षा प्रतिवेदन आदि के आलोक में मास्टर प्लान के प्रारूप की समीक्षा करने पर विचार विमर्श किया गया।

2) स्थल निरीक्षण के लिए गठित टीम द्वारा बताया गया कि-

- i) हवाई अड्डा के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया एवं प्रभावित गाँवों की स्थिति के बारे में बताया गया।
- ii) मास्टर प्लान क्षेत्र के पूर्वी भाग में फतुहा, खुसरूपुर, दीदारगंज, बिहटा सरमेरा पथ के अंश, पटना बख्तियारपुर फोर लेन, पुनपुन बाँध, गौरीचक, क्षेत्र का निरीक्षण किया गया एवं बताया गया कि कुछ मामलों में मास्टर प्लान में सड़कों को दर्शाने एवं Alignment में सुधार पर विचार किया जा सकता है। पटना बख्तियारपुर फोर लेन एवं पुनपुन बाँध को नक्शा में नहीं दर्शाया गया है।
- iii) निरीक्षण के क्रम में फतुहा नगर पंचायत कार्यालय से कुल 108 एवं खुसरूपुर अंचल कार्यालय से कुल 132 आपत्तियाँ प्राप्त हुए। भ्रमण के क्रम में फतुहा नगर पंचायत कार्यालय के कर्मी शामिल थे।
- iv) पश्चिमी भाग में बेलीरोड, नहर, AIIMS, भुसौला, जानीपुर, बिहटा सरमेरा पथ होते हुए नौबतपुर, बिहटा आदि इलाके का भ्रमण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कई महत्वपूर्ण Landmarks, सड़कों को Map में दर्शाने एवं प्राप्त सुझावों के आलोक में सुधार करने पर विचार किया जा सकता है।
- v) स्थल निरीक्षण में पाया गया कि कई अवस्थित एवं निर्माणाधीन Flyovers को नक्शे में नहीं दर्शाया गया है।
- vi) शेष क्षेत्रों एवं महत्वपूर्ण स्थलों यथा-मनेर जहाँ से 80 मीटर की चौड़ाई एवं इस पथ के समानान्तरण दो अन्य सड़कें प्रस्तावित हैं, बिहटा एवं नौबतपुर में प्रस्तावित सेटेलाईट टाऊनशिप क्षेत्र एवं दानापुर तथा खगौल से संबंधित आपत्तियों के आलोक में आवश्यक क्षेत्र निरीक्षण दो दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा।

3) श्री उत्पल शर्मा द्वारा बताया गया कि-

- i) Airport के लिए दर्शाया गया Location, Airport zone के रूप में चिह्नित है। इसमें Airport Related Activites Permissible है। इसके अन्तर्गत अवस्थित गाँवों को हटाने की जरूरत नहीं है। इन गाँवों के Expansion

को ध्यान में रखते हुए Runway Alignment एवं Airport तथा Airport Related Activities, यथा Airport Related Industries, Warehousing, Logistic Hub, Hotels के Permission के साथ इस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है।

- ii) प्राप्त आपत्तियों पर मास्टर प्लान के Proposals, Concept, Developing Infrastructure, वर्तमान एवं प्रस्तावित आधारभूत संरचनाओं एवं सुविधाओं, भविष्य की दिशा एवं आवश्यकताओं पर विचार करते हुए आवश्यक सुधार किया जा सकता है। आपत्तियों का निष्पादन इस प्रकार किया जा सकता है कि इसके Concept में ज्यादा फेर बदल नहीं किया जाय।
- iii) मास्टर प्लान में प्रस्तावित Landuse के आलोक में Non Conforming Uses के Existing Structure मास्टर प्लान की अधिसूचना के बाद भी यथावत रहेंगे। Further Expansion का Permission नहीं दिया जायगा।
- iv) मेट्रो रेल का Proposed Alignment, मास्टर प्लान में दर्शाया जा सकता है।
- v) प्रस्तावित गंगा पथ, दीदारगंज में गंगा नदी पर प्रस्तावित नये पुल एवं NHDP के Proposal एवं Alignment के बारे में Road Construction Department/ Road Construction Corporation से जानकारी प्राप्त कर यथावश्यक सुधार किया जा सकता है।
- vi) Industrial Area का क्षेत्रफल (प्रतिशत) बढ़ाने के संबंध में बताया गया कि UDPFI Guideline एवं अन्य मानकों के आधार पर संशोधन किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
- vii) मास्टर प्लान का क्षेत्र विस्तार इसके पूर्वी उत्तर दिशा में खुसरूपुर, हरदासबिगहा के इलाके में थोड़े क्षेत्रों के लिए किया जाना युक्ति संगत होगा।
- viii) वर्ष 2021 एवं 2031 के आधार पर Phases Development सुनिश्चित करने हेतु मास्टर प्लान के Proposals का वर्गीकरण एवं चिन्हिकरण किया जा सकता है।
- ix) Zonal Development Plan से संबंधित क्षेत्रों का चिन्हिकरण, प्रस्ताव एवं दिशा-निदेश मास्टर प्लान में दिया जाना इसके Implimentation में सहायक होगा।
- x) पटना नगर निगम के अवस्थित क्षेत्र के Redevelopment के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु इसे Zone-I के रूप में चिन्हित कर इसके Zonal Development Plan की तैयारी से सम्बन्धित कार्रवाई प्रारम्भ की जा सकती है।
- xi) बिहार भवन उपविधि, 2014 के आलोक में नगर निकायों के नये एवं पुराने क्षेत्रों का चिन्हिकरण क्षेत्रों, अवस्थित क्षेत्रों के Redevelopment हेतु प्रस्ताव को मास्टर प्लान में शामिल करना युक्ति संगत होगा।

- xii) Dumping Site के तीन से चार Locations चिन्हित करने की आवश्यकता है। इसको STP के अगल-बगल अथवा Integrate कर किया जा सकता है।
- xiii) इन कार्यों का निष्पादन मास्टर प्लान के नक्शे, प्रतिवेदन एवं बिहार भवन उपविधि, 2014 के आलोक में आयोजना क्षेत्रों के लिए Development Control Regulation (DCR) में यथावश्यक सुधार के साथ फरवरी, 2015 तक किया जा सकता है। इसकी कार्ययोजना उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

4) समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन कार्यालयों में मास्टर प्लान का नक्शा एवं रजिस्टर, आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए भेजा गया था, उन कार्यालयों से इसे प्राप्त किया जाए एवं इसका वर्गीकरण कर समिति के समक्ष अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

5) इस बैठक में निष्पादित आपत्तियों की सूची एवं विवरण निम्न प्रकार हैं -

पत्र एवं बही के माध्यम से प्राप्त आपत्तियाँ -				
निष्पादित आपत्तियों की क्र. सं०	कोटिवार आपत्ति क्र० सं०	आपत्तिकर्ता का नाम, पता, दूरभाष/मोबाईल नं०, ई-मेल आई०डी०/ आपत्ति एवं सुझाव का संदर्भ (मैप, रिपोर्ट, डी०सी०आर०)	आपत्ति/सुझाव का विवरण	समिति की अनुशंसा
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
01	1	विक्रमसिंह एवं अन्य ग्रा०-अकौना, पुनपुन मो०- 9304613321 विषय-प्रस्तावित Airport का location बदलने के सम्बन्ध में है। इस आवेदन में 1388 लोगों का हस्ताक्षर है।	मास्टर प्लान में दर्शाये गये जगह से हवाई अड्डा हटाने का आग्रह किया गया है। आवेदन के पक्ष तर्क-आबादी 20 हजार -कृषि योग्य उपजाऊ भूमि है। -हवाई अड्डा बनने से रोजी रोजगार छिन जाएगा। -बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। -लोगों के विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी।	i) Airport के लिए दर्शाया गया Location, Airport zone के रूप में चिन्हित है। इसमें Airport Related Activites Permisible है। इसके अन्तर्गत अवस्थित गाँवों को बिना हटाये एवं इन गाँवों के Expansion को ध्यान में रखते हुए Runway Alignment एवं Airport तथा Airport Related Activities , यथा Airport Related Industries, Warehousing, Logistic Hub, Hotels के Permission के साथ इस क्षेत्र का विकास करने की अनुशंसा की जाती है।
02	2	विक्रमसिंह एवं अन्य ग्रा०-अकौना, पुनपुन मो०- 9304613321 विषय-प्रस्तावित Airport का location बदलने के सम्बन्ध में है।	वही	वही
03	3	विक्रमसिंह एवं अन्य ग्रा०-अकौना, पुनपुन मो०- 9304613321 विषय-प्रस्तावित Airport का location बदलने के सम्बन्ध में है।	वही	वही
04	32	विक्रमसिंह एवं अन्य ग्रा०-अकौना, पुनपुन मो०- 9304613321 विषय-प्रस्तावित Airport का location बदलने के सम्बन्ध में है।	वही	वही
05	110	ललन मांझी एवं अन्य विषय-सड़क के निर्माण के संबंध में।	महायोजना में प्रदर्शित हवाई अड्डे तक जाने वाली तीसरे रिंग रोड (जो अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पूरब से पश्चिम) को बिना किसी घर का क्षति पहुंचाए बनवाने का सुझाव।	पत्र में वर्णित सड़क प्रस्तावित टारुनशिप क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र का Zonal Development तैयार करने के क्रम में अवस्थित एवं अन्य विचारणीय बिन्दुओं के आलोक में वांछित Road Alignment में सुधार किया जा सकता है।

*Tejash* *Sydhua* *Shi* *u*

06	4	शैलेन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय विषय-दानापुर अंचल के थाना सिकन्दरपुर बिस्कट फैक्ट्री रोड को आवासीय क्षेत्र के स्थान पर वन क्षेत्र दिखाए जाने पर आपत्ति।	सर्वे प्लॉट नं०-230, 221, 395, 396 Forest Land दिखाया गया है। सभी भूखण्ड का Registered Sale deed है, जिसमें Land Type Residential दिखाया गया है। यह क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है। क्षेत्र में रहने वाले लोग दानापुर विधान सभा एवं लोक सभा क्षेत्र (पाटलिपुत्रा) के वोटर भी है। इन आपत्तियों को ध्यान में रखकर वन क्षेत्र के स्थान पर आवासीय क्षेत्र घोषित किया जाए।	स्थल निरीक्षण किया गया। यहाँ लोगों के रिहायशी घर हैं। आपत्ति के आलोक में तथ्यों पर विचार कर इसे निष्पादित किया जा सकता है।
07	5	श्री प्रेम, अध्यक्ष, प्रेमालोक मिशन स्कूल, पटना-7 विषय-एवं शहर की सफाई, सुन्दरता आदि के संबंध में।	1-सड़कों के चौड़ीकरण में पेड़ों की कटाई कम से कम की जाए। 2-रोशनी के लिए स्ट्रील लाईट के साथ-साथ प्रत्येक घर वाले को घर के सामने रोशनी की व्यवस्था अनिवार्य किया जाए। 3-प्रत्येक 100 मीटर सड़क पर एक सफाई कर्मचारी हो तथा गंदगी फेलाने वाले को जुर्माना किया जाए। 4-आवादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति 16 वृक्ष लगाए जाएं। 5-सड़कों के चौड़ीकरण में न्यूनतम चौड़ाई स्थानीय लोगों की सलाह को ध्यान में रखकर बनायी जाए एवं अधिकतम चौड़ीकरण प्रभावित लोगों की आम सहमति से तय हो।	यह मास्टर प्लान के Landuse से सम्बन्धित नहीं है। ये बिन्दु भवन उपविधि एवं नगरीय प्रशासन से सम्बन्धित है। वृक्ष लगाने एवं सड़कों के चौड़ाई के निर्धारण के सम्बन्ध में बिहार भवन उपविधि, 2014 में प्रावधान किये गए हैं।
08	14	प्रफुल्ल रंजन, चुल्हाई चक खगौल विषय-प्रस्तावित रोड को समाप्त करने के संबंध में।	ग्राम-चुल्हाई चक, मौजा-जलालपुर में थाना नं०-22, प्लॉट नं०-423 एवं 427 से लिंक रोड की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा घनी आबादी से भरा हुआ है। यहाँ पर वसे ग्रामवासी के आशियाना को न उजाड़ा जाए। प्रस्तावित लिंक रोड को समाप्त किया जाए।	स्थल निरीक्षण किया गया। सड़क के Alignment में तथ्यों की समीक्षा कर सुधार किया जा सकता है।
09	5	श्री प्रेम, अध्यक्ष, प्रेमालोक मिशनस्कूल, पटना-7विषय-एवं शहर की सफाई, सुन्दरता आदि के संबंध में।	1-सड़कों के चौड़ीकरण में पेड़ों की कटाई कम से कम की जाए।2-रोशनी के लिए स्ट्रील लाईट के साथ-साथ प्रत्येक घर वाले को घर के सामने रोशनी की व्यवस्था अनिवार्य किया जाए।3-प्रत्येक 100 मीटर सड़क पर एक सफाई कर्मचारी हो तथा गंदगी फेलाने वाले को जुर्माना किया जाए।4-आवादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति 16 वृक्ष लगाए जाएं।5-सड़कों के चौड़ीकरण में न्यूनतम चौड़ाई स्थानीय लोगों की सलाह को ध्यान में रखकर बनायी जाए एवं अधिकतम चौड़ीकरण प्रभावित लोगों की आम सहमति से तय हो।	क्रमांक-7 की पुनरावृत्ति है।
10	4	शैलेन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय विषय-दानापुर अंचल के थाना सिकन्दरपुर बिस्कट फैक्ट्री रोड को आवासीय क्षेत्र के स्थान पर वन क्षेत्र दिखाए जाने पर आपत्ति।	सर्वे प्लॉट नं०-230, 221, 395, 396 Forest Land दिखाया गया है, सभी भूकम्परोधी को Registered Saleded जिसमें Land Type Residential दिखाया गया है। यह क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है। क्षेत्र में रहने वाले लोग दानापुर विधान सभा एवं लोक सभा क्षेत्र (पाटलिपुत्रा) के वोटर भी है। इन आपत्तियों को ध्यान में रखकर वन क्षेत्र के स्थान पर आवासीय क्षेत्र घोषित किया जाए।	स्थल निरीक्षण किया गया। यहाँ लोगों के रिहायशी घर हैं। आपत्ति के आलोक में तथ्यों पर विचार कर इसे निष्पादित किया जा सकता है।
11	6	शैलेन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय विषय-दानापुर अंचल के थाना सिकन्दरपुर बिस्कट फैक्ट्री रोड को आवासीय क्षेत्र के स्थान पर वन क्षेत्र दिखाए जाने पर आपत्ति।	क्रमांक-10 की पुनरावृत्ति है।	क्रमांक-10 की पुनरावृत्ति है।

12/10/2019  
 श्री. 37/10/2019  
 W

12	7	प्रीति कुमारी, 2/171.GD Mishra Path मो- 9431107266 विषय-Boring Road को Commercial land use के अन्तर्गत रखने के संबंध में।	न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में पानी टंकी तक व्यवसायिक उपयोग रखा गया है इसके आगे पाटलिपुत्रा कॉलोनी चौराहा भाया-CISF अल्पना मार्केट क्षेत्र को आवासीय रखा गया है। इस सड़क पर Commercial Activity हो रहा है।	इस इलाके में व्यवसायिक गतिविधियाँ हो रही हैं। आपत्ति के आलोक में मास्टर प्लान में सुधार करने की अनुशंसा की जाती है।
13	23	कामेश्वर प्रसाद सिंह, मकान सं०-451 जी०डी० मिश्रा पथ, पटना-800013 मो०-9431479671 विषय-ड्राफ्ट मास्टर प्लान, 2031 पर आपत्ति के संबंध में।	बोरिंग रोड के अंशभाग की Commercial Land के अन्तर्गत रखने के संबंध में। ए०एन० कालेज के कोना से पाटलिपुत्रा कॉलोनी चौराहा तक, प्लॉट नं०-1046, 1487, वार्ड-मनपुरा, नया पाटलिपुत्रा का भूउपयोग व्यवसायिक रखने के सम्बन्ध में	इस इलाके में व्यवसायिक गतिविधियाँ हो रही हैं। आपत्ति के आलोक में मास्टर प्लान में सुधार करने की अनुशंसा की जाती है।
14	25	चन्द्रेश्वर सिंह एवं अन्य विषय-वन क्षेत्र की हटाकर आवासीय क्षेत्र घोषित करने के संबंध में।	दानापुर अंचल के थाना सिकन्दरपुर ब्रिस्कट फैंक्ट्री रोड को आवासीय क्षेत्र के स्थान पर वन क्षेत्र दिखाए जाने पर आपत्ति। सर्वे प्लॉट नं०-230, 221, 395, 396 Forest Land दिखाया गया है, सभी भूखण्ड का Registered Sale deed जिसमें Land Type Residential दिखाया गया है। यह क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है। क्षेत्र में रहने वाले लोग दानापुर विधान सभा एवं लोक सभा क्षेत्र (पाटलिपुत्रा) के वोटर भी हैं। इन आपत्तियों को ध्यान में रखकर वन क्षेत्र के स्थान पर आवासीय क्षेत्र घोषित किया जाए।	स्थल निरीक्षण किया गया। यहाँ लोगों के रिहायशी घर हैं। आपत्ति के आलोक में तथ्यों पर विचार कर इसे निष्पादित किया जा सकता है।
15	26	सुजीत कुमार दूबे विषय-वन क्षेत्र को हटाकर आवासीय क्षेत्र घोषित करने के संबंध में।	दानापुर अंचल के थाना सिकन्दरपुर ब्रिस्कट फैंक्ट्री रोड को आवासीय क्षेत्र के स्थान पर वन क्षेत्र दिखाए जाने पर आपत्ति। सर्वे प्लॉट नं०-230, 221, 395, 396 Forest Land दिखाया गया है, सभी भूखण्ड का Registered Sale deed जिसमें Land Type Residential दिखाया गया है। यह क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है। क्षेत्र में रहने वाले लोग दानापुर विधान सभा एवं लोक सभा क्षेत्र (पाटलिपुत्रा) के वोटर भी हैं। इन आपत्तियों को ध्यान में रखकर वन क्षेत्र के स्थान पर आवासीय क्षेत्र घोषित किया जाए।	स्थल निरीक्षण किया गया। यहाँ लोगों के रिहायशी घर हैं। आपत्ति के आलोक में तथ्यों पर विचार कर इसे निष्पादित किया जा सकता है।
16	30	राजेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता, पटनाउच्च न्यायालय, शेखपुरा,पटना-14विषय-मास्टर प्लान में Commercial Area चिह्नित करने के संबंध में।	RIDING ROAD के पश्चिम में स्थित Golf Club बाउन्ड्री को व्यवसायिक क्षेत्र चिह्नित करने के संबंध में।तर्क-यह रोड 24 मीटर चौड़ा है जो Corporate office और Hotel के लिए उपर्युक्त है।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों, जैविक उद्यान, वर्तमान हवाई अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
17	31	मुरारी लाल झुन-झुन वाला, राजीव नगर, रोड नं०- 16, पटना विषय-मास्टर प्लान में Commercial Area चिह्नित करने के संबंध में।	1-Rly Station एवं Airport के आसपास के क्षेत्र को Commercial Area चिह्नित करने के संबंध में। 2. रिंग रोड के पूरब का क्षेत्र आवासीय क्षेत्र है उसे व्यवसायिक क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।	रेलवे स्टेशन के आसपास व्यवसायिक गति विधि अनुज्ञेय है। जोनल प्रस्तावित एयरपोर्ट के सम्बन्ध में क्रमांक-1 एवं वर्तमान एयर पोर्ट के सम्बन्ध में कंडिका-18 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
18	40	अजय सुमन विषय-Commerical Land Use चिह्नित करने के संबंध में।	पटना मास्टर प्लान, 2031 में बुद्धमार्ग रोड जिसे पटना-गया रोड भी कहा जाता है, को व्यवसायिक लैंड उपयोग के लिए चिह्नित एवं अधिसूचित किया जाए क्योंकि इस रोड में तारामंडल, बिहार टेक्सट बुक, भूमि विकास बैंक, अशोक सिनेमा, पटना स्टॉक एक्सचेंज, पर्ल सिनेमा, बकरी बाजार, इस्कॉन मंदिर, पाल होटल तथा राज्य सरकार का मौर्यालोक परिसर आदि स्थित हैं और इस इलाके में व्यवसायिक गतिविधियाँ बहुत वर्ष पूर्व से होता रहा है।	क्षेत्र निरीक्षण किया गया। आवेदन में वर्णित तथ्य सही है। इस मार्ग में व्यवसायिक गतिविधियों पूर्व से चल रही है। इस सड़क के निकटवर्ती क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है। तदनुसार मास्टर प्लान में सुधार करने की अनुशंसा की जाती है।

*Te Disha* *Sy Disha* *S* *b*

31

19	45	ललित कुमार विषय-Commercial Area घोषित करने के संबंध में।	पटना Airport के उत्तर वाली सड़क को Commercial Area बनाया जाना चाहिए।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों, जैविक उद्यान, वर्तमान हवाई अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
20	48	अजय सुमन विषय-बुद्ध मार्ग रोड को Commercial Land use के अंतर्गत रखने के संबंध में।	पटना मास्टर प्लान, 2031 में बुद्धमार्ग रोड जिसे पटना-गया रोड भी कहा जाता है, को व्यवसायिक लैंड उपयोग के लिए चिह्नित एवं अधिसूचित किया जाए क्योंकि इस रोड में तारामंडल, बिहार टेक्सट बुक, भूमि विकास बैंक, अशोक सिनेमा, पटना स्टॉक एक्सचेंज, पर्ल सिनेमा, बकरी बाजार, इस्कॉन मंदिर, पाल होटल तथा राज्य सरकार का मौर्यालोक परिसर आदि स्थित है और इस इलाके में व्यवसायिक गतिविधियाँ बहुत वर्ष पूर्व से होता रहा है।	क्षेत्र निरीक्षण किया गया। आवेदन में वर्णित तथ्य सही है। इस मार्ग में व्यवसायिक गतिविधियाँ पूर्व से चल रही है। इस सड़क के निकटवर्ती क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है। तदनुसार मास्टर प्लान में सुधार करने की अनुशंसा की जाती है।
21	50	ललित कुमार विषय-Commercial Area घोषित करने के संबंध में।	पटना Airport के उत्तर वाली सड़क को Commercial Area बनाने के संबंध में।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों, जैविक उद्यान, वर्तमान हवाई अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
22	60	सुरेन्द्र नारायण सिंह मो०- 9430212555 surendranarayansingh123@ gmail.com विषय-मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव।	1. पटना में जनसंख्या का घनत्व प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है अतः शहर के बाहरी इलाके में सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, मेगा मार्केट आदि स्थापित किया जाए। 2. शहर के सुदूर ग्रामीण इलाकों से रिग बस सेवा, मेट्रो ट्रेन सेवा चालू किया जाए। 3. जलजमाव कि स्थिति से निपटारा किया जाए। 4. पटना शहर की तरह नये क्षेत्रों में 2 घंटे विद्युत आपूर्ति कि जाए। 5. अतिक्रमण मुक्त सड़क एवं पक्की गलियों का निर्माण हो।	जनसंख्या घनत्व जनसंख्या के प्रक्षेपण, जनसंख्या घनत्व, वर्तमान जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व एवं वर्ष-2031 तक के लिए जनसंख्या के प्रक्षेपण के आधार पर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके आलोक में यथा आधारभूत संरचनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव दिये गये हैं। मेट्रो रेल सेवा एवं बस सेवा के लिए विभाग द्वारा अलग से प्रक्रिया किया जा रहा है।
23	63	Madukar Bareria, Lucky Biscuit company विषय- आलमपुर, बंका घाट, पटनासिटी को औद्योगिक क्षेत्र के बदले फॉरेस्टर जोन घोषित जोन को सुधारने के संबंध में।	प्रस्तावित मास्टर प्लान में आलमपुर, बंका घाट, पटनासिटी को फॉरेस्टर जोन दिखलाया गया है जबकि वर्तमान में Lucky Biscuit company स्थापित है। इस लिए इसे औद्योगिक/व्यवसायिक क्षेत्र के साथ-साथ आवासीय क्षेत्र घोषित किया जाए।	पूर्व से अवस्थित Non Conforming Existing Landuse यथावत रहेंगे। फॉरेस्टर जोन के स्थान पर पूर्व के मास्टर प्लान के लैण्डयुज यथावत रखने पर विचार किया जा सकता है।
24	73	मनोज कुमार झा, शेखपुरा, पटना विषय- मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव।	1. Riding Road के पश्चिम ओर Commercial Area चिह्नित किया जाना चाहिए। 2. Airport के नजदीक के जमीन सरकारी कार्यों में उपयोग है।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों जैविक उद्यान, वर्तमान अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
25	74	अनुप कुमार, दुर्गा आश्रम, बेली रोड, पटना विषय- मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव।	1. Riding Road के पश्चिम ओर Commercial Area चिह्नित किया जाना चाहिए। 2. Airport के नजदीक के जमीन सरकारी कार्यों में उपयोग है।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों जैविक उद्यान, वर्तमान अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
26	75	दिनेश प्रसाद, रामनगर अशियाना, पटना विषय- मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव।	1. Riding Road के पश्चिम ओर Commercial Area चिह्नित किया जाना चाहिए। 2. Airport के नजदीक के जमीन सरकारी कार्यों में उपयोग है।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों जैविक उद्यान, वर्तमान अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
27	76	कृष्णा कुमार सिंह, खजपुरा, बेली रोड, पटना विषय- मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव।	1. Riding Road के पश्चिम ओर Commercial Area चिह्नित किया जाना चाहिए। 2. Airport के नजदीक के जमीन सरकारी कार्यों में उपयोग है।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों जैविक उद्यान, वर्तमान अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
28	77	रोहित कुमार, पटनाविषय- मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव।	1. Riding Road के पश्चिम ओर Commercial Area चिह्नित किया जाना चाहिए। 2. Airport के नजदीक के जमीन सरकारी कार्यों में उपयोग है।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों जैविक उद्यान, वर्तमान अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
29	78	रमेश साह, खजपुरा, बेली रोड, पटना विषय- मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव।	1. Riding Road के पश्चिम ओर Commercial Area चिह्नित किया जाना चाहिए। 2. Airport के नजदीक के जमीन सरकारी कार्यों में उपयोग है।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों जैविक उद्यान, वर्तमान अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*

30	79	गणेश प्रसाद, राजवंशी नगर विषय- मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव।	1. Riding Road के पश्चिम ओर Commercial Area चिह्नित किया जाना चाहिए। 2. Airport के नजदीक के जमीन सरकारी कार्यों में उपयोग है।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों जैविक उद्यान, वर्तमान अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
31	80	चन्दीका प्रसाद, पटना विषय- मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव।	1. Riding Road के पश्चिम ओर Commercial Area चिह्नित किया जाना चाहिए। 2. Airport के नजदीक के जमीन सरकारी कार्यों में उपयोग है।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों जैविक उद्यान, वर्तमान अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
32	81	सतेन्द्र कुमार, पटना विषय- मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव।	1. Riding Road के पश्चिम ओर Commercial Area चिह्नित किया जाना चाहिए। 2. Airport के नजदीक के जमीन सरकारी कार्यों में उपयोग है।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों जैविक उद्यान, वर्तमान अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
33	82	इशतरज अहमद, मस्जिद गली, बेली रोड, पटना विषय- मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव।	1. Riding Road के पश्चिम ओर Commercial Area चिह्नित किया जाना चाहिए। 2. Airport के नजदीक के जमीन सरकारी कार्यों में उपयोग है।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों, जैविक उद्यान, वर्तमान अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
34	83	अरुण कुमार बांका, राजीव नगर, पटना विषय- मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव।	1. Riding Road के पश्चिम ओर Commercial Area चिह्नित किया जाना चाहिए। 2. Airport के नजदीक के जमीन सरकारी कार्यों में उपयोग है।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों जैविक उद्यान, वर्तमान अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
35	84	यदुनंद प्रसाद चौरसिया, संस्कृत विद्यापीठ के नजदीक, बेली रोड, पटना विषय- मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव।	1. Riding Road के पश्चिम ओर Commercial Area चिह्नित किया जाना चाहिए। 2. Airport के नजदीक के जमीन सरकारी कार्यों में उपयोग है।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों जैविक उद्यान, वर्तमान अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
36	85	परवेज अहमद, पटना विषय- मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव।	1. Riding Road के पश्चिम ओर Commercial Area चिह्नित किया जाना चाहिए। 2. Airport के नजदीक के जमीन सरकारी कार्यों में उपयोग है।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों जैविक उद्यान, वर्तमान अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
37	86	ठाकुर महतो, मंगल मार्केट, पटना विषय- मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव।	1. Riding Road के पश्चिम ओर Commercial Area चिह्नित किया जाना चाहिए। 2. Airport के नजदीक के जमीन सरकारी कार्यों में उपयोग है।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों जैविक उद्यान, वर्तमान अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
38	87	आलोक कुमार गुप्ता, मछली गली, बेली रोड, पटना विषय- मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव।	1. Riding Road के पश्चिम ओर Commercial Area चिह्नित किया जाना चाहिए। 2. Airport के नजदीक के जमीन सरकारी कार्यों में उपयोग है।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों जैविक उद्यान, वर्तमान अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
39	88	विमल प्रसाद, खजपुरा, पटना विषय- मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव।	1. Riding Road के पश्चिम ओर Commercial Area चिह्नित किया जाना चाहिए। 2. Airport के नजदीक के जमीन सरकारी कार्यों में उपयोग है।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों जैविक उद्यान, वर्तमान अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
40	89	मो० अकबर अहमद, मस्जिद गली, शेखपुरा, पटना विषय- मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव।	1. Riding Road के पश्चिम ओर Commercial Area चिह्नित किया जाना चाहिए। 2. Airport के नजदीक के जमीन सरकारी कार्यों में उपयोग है।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों जैविक उद्यान, वर्तमान अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
41	130	गुप्ता फुड प्रा० लिमिटेड विषय- मास्टर प्लान के ग्रीड-7 को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के संबंध में।	मौजा सिकन्दरपुर, (Grid-7) में सुधार किया जाए। (औद्योगिक क्षेत्र के रूप में)	स्थल निरीक्षण किया गया। यहाँ लोगों के रिहायशी घर हैं। आपत्ति के आलोक में तथ्यों पर विचार कर इसे निष्पादित किया जा सकता है।
42	8	संजय कुमार (चेयर मैन) ICS Co-operative Society Ltd. विषय-पटना मास्टर प्लान में कुछ क्षेत्रों को शामिल करने के संबंध में।	आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि NH-30 को मास्टर प्लान में दर्शाया जाए। चूंकि NH-30 पर आवागमन चालू होने के कारण इस इलाके में आवासीय/व्यवसायिक गतिविधियाँ चालू है इसलिए फतुहा ब्लॉक के पिताम्बरपुर मौजा इलाके में आवासीय गतिविधियों की अनुमति हेतु इस इलाके में अवस्थित लिंक रोड को दिखाते हुए इसे Conservation Zone से हटाकर Residential Zone दर्शाया जाय। यह इलाका पटना से गया बाई पास को जोड़ने के लिए उपयुक्त है। यह भूखण्ड प्राईवेट लोगों का है।	पटना बख्तियारपुर फोर लेन एवं अन्य सड़कों को मास्टर प्लान में दर्शाने का निर्णय लिया गया। इन सड़कों के चालू होने के कारण इस इलाके में अवस्थित रोड नेटवर्क एवं फतुहा इलाके का ग्रोथ नोड के रूप में हो रहे विकास को ध्यान में रखते हुए फतुहा इलाके में प्रस्तावित सेटलाईट टाऊनशिप एरिया में NH-30 के दोनों तरफ अवस्थित मौजों को शामिल करते हुए इसे विस्तृत करने की अनुशंसा की जाती है।

29

43	42	जितेन्द्र कुमार राम, सदस्य, बिहार विधान सभा विषय-मास्टर प्लान में नये क्षेत्र सम्मिलित करने के संबंध में।	पटना में बढ़ते जनसंख्या दबाव को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान- 2031 का विस्तार गंगापार वैशाली और सारण जिले तक किया जाए। गंतव्य हो कि पूर्व के मास्टर प्लान में गंगा पार वैशाली और सारण जिले के वैशाली और दिघवारा तथा परसा तक पटना का विस्तार करने का प्रस्ताव था।	वैशाली एवं सारण जिले के क्षेत्रों के लिए अलग से मास्टर प्लान बनाने की कार्रवाई की जा रही है।
44	43	आयुक्त के सचिव, आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना विषय-आयुक्त पटना प्रमंडल कार्यालय से प्राप्त सूचना।	श्री विकेश कुमार, सहायक आयुक्त कार्यालय, पटना को नोडल कर्मी नियुक्त किया गया है, (दूरभाष सं०-9279577996) पर संपर्क करने पर पता चला कि वहाँ आपत्ति दर्ज नहीं है।	विषय के आलोक में निस्तारित।
45	73	मनोज कुमार झा, शेखपुरा, पटनाविषय- मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव।	1. Riding Road के पश्चिम ओर Commercial Area चिह्नित किया जाना चाहिए। 2. Airport के नजदीक के जमीन सरकारी कार्यों में उपयोग है।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों, जैविक उद्यान, वर्तमान अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
46	10	R. K. Singh, Indian Building Council Patna Center, Bailey Road, Patna- 800001 विषय-प्रस्तावित मास्टर प्लान में Small Commercial Area Demarcation के संबंध में।	Local Resident need के अनुसार प्रत्येक 2 वर्ग कि०मी० के लिए एक Shopping Centre जिसमें 50 से 100 दुकान हो, की आवश्यकता है। राजेन्द्र नगर गोलघर के अलावा Planned Shopping Centre नहीं है। मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, हनुमान नगर, पाटलिपुत्रा स्टैडियम रोड, गायत्री मंदिर लोहिया नगर, अशोक नगर बैक रोड, सहदेव महतो मार्ग, बुद्धा कॉलोनी, नेहरू नगर मेन रोड पर Commercial Activity चल रहा है। Commercial land use दिया जाए। इसके अतिरिक्त आशियाना नगर रोड को Fully Commercial Declared किया जाए। म्यूरपथ, जगदेवपथ, अम्बेदकर पक्ष पर विभिन्न प्रकार के Commercial Activity चल रहा है।	आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित प्रस्ताव UDFPI Guidelines एवं अन्य Planning Standard के आधार पर किया गया है। जिस एरिया में Commercial Activity चल रहा है उस एरिया को बिहार भवन उपविधि, 2014 एवं स्थल Observation के आधार पर Commercial Landuse रखने पर विचार किया जा सकता है।
47	191	R.V Enterprises, Indane Gas विषय- स्पण्छ गोदाम के संबंध में।	प्रस्तावित मास्टर प्लान के प्रत्येक कॉलोनी में स्पण्छ गोदाम चिह्नित किया जाए।	एल०पी०जी० गोदाम के लिए मास्टर प्लान में अलग से चिह्निकरण युक्तिसंगत नहीं होगा। जिन भूमि उपयोग में एल०पी०जी० गोदाम की अनुज्ञा दी जा सकती है, उसका उल्लेख बिहार भवन उपविधि, 2014 में है।
48	11	नवीन प्रकाश हरबट विषय-प्रस्तावित रोड को समाप्त करने के संबंध में।	ग्राम-चुल्हाई चक, मौजा-जलालपुर में थाना न०-22, प्लॉट न०-423 एवं 427 से लिंक रोड की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा घनी आबादी से भरा हुआ है। यहाँ पर वैसे ग्रामवासी के आशियाना को न उजाड़ा जाए। प्रस्तावित लिंक रोड को समाप्त किया जाए।	स्थल निरीक्षण किया गया। सड़क के Alignment में तथ्यों की समीक्षा कर सुधार किया जा सकता है।
49	62	रविन्द्र नाथ सिंह एवं अन्य विषय- मास्टर प्लान में सर्वे प्लॉट नं० गलत दिखलाने के संबंध में।	1. पटना-बख्तियारपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का नक्शा से मेल नहीं खाता है। 2. गुरुगोविन्द सिंह लिंग पथ के पश्चिम रानीपुर मोहल्ला के पूर्व रेलवे लाईन के दक्षिण में सर्वे प्लॉट के नम्बर सर्वे प्लॉट के नम्बर से मेल नहीं खाता है। इसकी बीच में फॉरेस्ट क्षेत्र दिखलाया गया है जबकि स्थल पर इस तरह का फॉरेस्ट क्षेत्र नहीं है। सर्वे मैप की कॉपी संलग्न है।	स्थल निरीक्षण किया गया। पटना बख्तियारपुर फोर लेन को मास्टर प्लान में दर्शाया जाएगा। आवेदन में वर्णित विन्दुओं के आलोक में मास्टर प्लान में सुधार किये जाने पर विचार किया जा सकता है। प्राईवेट लेण्ड पर फॉरेस्ट जोन दिखलाया गया है। जिसे सुधार करने की आवश्यकता है।
50	27	Sachin Chandra, State Chairman, Builder Association of India विषय-मास्टर प्लान का presentation आयोजित करने के संबंध में।	Assosiation के द्वारा मास्टर प्लान का स्पेशल प्रस्तुतिकरण करने के संबंध में।	पूर्व में मास्टर प्लान का प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है। दिनांक-19.10.2014 को चाणक्या होटल, पटना में मास्टर प्लान के प्रारूप का प्रस्तुतीकरण किया गया।
51	28	Ar. Neeraj Saunik, Chairman Indian institute of Architects विषय-मास्टर प्लान का presentation आयोजित करने के संबंध में।	Assosiation के द्वारा मास्टर प्लान का स्पेशल प्रस्तुतिकरण करने के संबंध में।	पूर्व में मास्टर प्लान का प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है। दिनांक-19.10.2014 को चाणक्या होटल, पटना में मास्टर प्लान के प्रारूप का प्रस्तुतीकरण किया गया।



52	29	Sachin Chandra, State Chairman, Builder Association of India विषय-मास्टर प्लान का presentation आयोजित करने के संबंध में।	Assosiation के द्वारा मास्टर प्लान का स्पेशल प्रस्तुतिकरण करने के संबंध में।	पूर्व में मास्टर प्लान का प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है। दिनांक-19.10.2014 को चाणक्या होटल, पटना में मास्टर प्लान के प्रारूप का प्रस्तुतीकरण किया गया।
53	52	Subodh Kumar, Secretary General, Bihar Industries Association विषय- 15 अक्टूबर 2014 के पूर्व मास्टर प्लान 2031 के प्रस्तुतिकरण के संबंध में।	मास्टर प्लान पर सचिव के साथ बैठक के संबंध में।	पूर्व में मास्टर प्लान का प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है। मास्टर प्लान पर विमर्श हेतु तत्कालीन सचिव के साथ अनेकों बार बैठक हुई है। दिनांक-19.10.2014 को चाणक्या होटल, पटना में मास्टर प्लान के प्रारूप का प्रस्तुतीकरण किया गया।
54	34	A.D. Singh, Chairman, Patna Center, Builders Association of India	1. भवन की ऊँचाई नापने से संबंधित प्रावधान। 2. निबंधन हेतु न्यूनतम दर बाजार दर से ज्यादा है। 3. निबंधन से संबंधित नये खुले कार्यालय में 5000/- रु० अतिरिक्त का भुगतान करना पड़ता है।	भवन की ऊँचाई मापने से सम्बन्धित प्रावधान बिहार भवन उपविधि, 2014 में किया गया है। निबंधन दर का मामला मास्टर प्लान से सम्बन्धित नहीं है।
55	35	ए०के० सिंह मो०- 8986161744	बिल्डिंग बायलॉज परिवर्तन किये जाने हेतु	नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार भवन उपविधि, 2014 अधिसूचित किया जा चुका है।
56	44	S.P. Sinha, Chairman Confederation of India Industry 0612-3224004 विषय-Building Bye Lows से संबंधित सुझाव।	Building Bye Laws से संबंधित सुझाव।	नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार भवन उपविधि, 2014 अधिसूचित किया जा चुका है।
57	46	S.P. Sinha, Chairman Confederation of India Industry 0612-3224004 विषय-Building Bye Lows से संबंधित सुझाव।	Building Bye Laws से संबंधित सुझाव।	नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार भवन उपविधि, 2014 अधिसूचित किया जा चुका है।
58	49	S.P. Sinha, Chairman Confederation of India Industry 0612-3224004 विषय-Building Bye Lows से संबंधित सुझाव।	Building Bye Laws से संबंधित सुझाव।	नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार भवन उपविधि, 2014 अधिसूचित किया जा चुका है।
59	55	सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार विषय- अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को लागू करने के संबंध में।	शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के मॉडल भवन उपविधि 2004 के अध्याय-7 में वर्णित अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को लागू करने के संबंध में।	बिहार भवन उपविधि, 2014 में इससे सम्बन्धित प्रावधान किये गये हैं।
60	118	Patna Action Group विषय- चौड़ी सड़को पर ऊँचे भवनों के निर्माण करने के संबंध में।	1. देखा जा रहा है कि 15 से 20 फीट चौड़ाई वाले सड़को एवं गली पर 8 तल्ले भवनों का निर्माण हो रहा है जो गलत है। 2. 10 फीट चौड़ाई वाले सड़क पर 2 तल्ले से ज्यादा निर्माण का अनुमति नहीं दिया जाए आदि।	इससे सम्बन्धित प्रावधान बिहार भवन उपविधि, 2014 में किया जा चुका है।
61	136	सत्यजीत सिंह, अध्यक्ष, Progress Harmony Development विषय- मास्टर प्लान में IT पार्क के स्थापित करने का सुझाव।	बिहार में IT पार्क को और आकर्षित करने के लिए एफ०ए०आर० 2.5 गुणा किया जाए।	इससे सम्बन्धित प्रावधान बिहार भवन उपविधि, 2014 में किया जा चुका है।
62	12	प्रियंका कुमारी विषय-प्रस्तावित रोड को समाप्त करने के संबंध में।	ग्राम-चुल्हाई चक, मौजा-जलालपुर में थाना नं०-22, प्लॉट नं०-423 एवं 427 से लिंक रोड की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा घनी आबादी से भरा हुआ है। यहाँ पर वसे ग्रामवासी के आशियाना को न उजाड़ा जाए। प्रस्तावित लिंक रोड को समाप्त किया जाए।	स्थल निरीक्षण किया गया। सड़क के Alignment में तथ्यों की समीक्षा कर सुधार किया जा सकता है।
63	13	ललन सिंह, चुल्हाई चक खगौल विषय-प्रस्तावित रोड को समाप्त करने के संबंध में।	ग्राम-चुल्हाई चक, मौजा-जलालपुर में थाना नं०-22, प्लॉट नं०-423 एवं 427 से लिंक रोड की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा घनी आबादी से भरा हुआ है। यहाँ पर वसे ग्रामवासी के आशियाना को न उजाड़ा जाए। प्रस्तावित लिंक रोड को समाप्त किया जाए।	स्थल निरीक्षण किया गया। सड़क के Alignment में तथ्यों की समीक्षा कर सुधार किया जा सकता है।



*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*

27

64	14	प्रफुल्ल रंजन, चुल्हाई चक खगौल विषय-प्रस्तावित रोड को समाप्त करने के संबंध में।	ग्राम-चुल्हाई चक, मौजा-जलालपुर में थाना नं०-22, प्लॉट नं०-423 एवं 427 से लिक रोड की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा घनी आबादी से भरा हुआ है। यहाँ पर वसे ग्रामवासी के आशियाना को न उजाड़ा जाए। प्रस्तावित लिक रोड को समाप्त किया जाए।	स्थल निरीक्षण किया गया। सड़क के Alignment में तथ्यों की समीक्षा कर सुधार किया जा सकता है।
65	15	अरुण कुमार सहाय, चुल्हाई चक खगौल विषय-प्रस्तावित रोड को समाप्त करने के संबंध में।	ग्राम-चुल्हाई चक, मौजा-जलालपुर में थाना नं०-22, प्लॉट नं०-423 एवं 427 से लिक रोड की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा घनी आबादी से भरा हुआ है। यहाँ पर वसे ग्रामवासी के आशियाना को न उजाड़ा जाए। प्रस्तावित लिक रोड को समाप्त किया जाए।	स्थल निरीक्षण किया गया। सड़क के Alignment में तथ्यों की समीक्षा कर सुधार किया जा सकता है।
66	16	अनुष्का सहाय, चुल्हाई चक खगौल विषय-प्रस्तावित रोड को समाप्त करने के संबंध में।	ग्राम-चुल्हाई चक, मौजा-जलालपुर में थाना नं०-22, प्लॉट नं०-423 एवं 427 से लिक रोड की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा घनी आबादी से भरा हुआ है। यहाँ पर वसे ग्रामवासी के आशियाना को न उजाड़ा जाए। प्रस्तावित लिक रोड को समाप्त किया जाए।	स्थल निरीक्षण किया गया। सड़क के Alignment में तथ्यों की समीक्षा कर सुधार किया जा सकता है।
67	17	शारदा कुमारी विषय-प्रस्तावित रोड को समाप्त करने के संबंध में।	ग्राम-चुल्हाई चक, मौजा-जलालपुर में थाना नं०-22, प्लॉट नं०-423 एवं 427 से लिक रोड की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा घनी आबादी से भरा हुआ है। यहाँ पर वसे ग्रामवासी के आशियाना को न उजाड़ा जाए। प्रस्तावित लिक रोड को समाप्त किया जाए।	स्थल निरीक्षण किया गया। सड़क के Alignment में तथ्यों की समीक्षा कर सुधार किया जा सकता है।
68	18	डॉ० मोहन भ्रमण्ड विषय-प्रस्तावित रोड को समाप्त करने के संबंध में।	ग्राम-चुल्हाई चक, मौजा-जलालपुर में थाना नं०-22, प्लॉट नं०-423 एवं 427 से लिक रोड की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा घनी आबादी से भरा हुआ है। यहाँ पर वसे ग्रामवासी के आशियाना को न उजाड़ा जाए। प्रस्तावित लिक रोड को समाप्त किया जाए।	स्थल निरीक्षण किया गया। सड़क के Alignment में तथ्यों की समीक्षा कर सुधार किया जा सकता है।

**ई०मेल० के माध्यम से प्राप्त आपत्तियाँ -**

69	32	पंकज सिंह, pankaj.kumar504511@gmail.com	Airport का एरिया गाँव को छोड़कर किया जाए।	i) Airport के लिए दर्शाया गया Location, Airport zone के रूप में चिन्हित है। इसमें Airport Related Activites Permissible है। इसके अन्तर्गत अवस्थित गाँवों को बिना हटाये एवं इन गाँवों के Expansion को ध्यान में रखते हुए Runway Alignment एवं Airport तथा Airport Related Activities , यथा Airport Related Industries, Warehousing, Logistic Hub, Hotels के Permission के साथ इस क्षेत्र का विकास करने की अनुशंसा की जाती है।
70	163	कुमुदरंजन सिंह kumudcool1992@gmail.com Sub.- Suggestions on Airport Location Patna.	(a) many villages which can suffer problems (b) High tension wires(HV Lines) are gone through this area which is a big challenge to remove. (c) It's a low lying area and govt. would not like to make an airport in a low lying area which will always filled with water. (d) The land from south of Morhar river(POTAHI,MASOURHI) to the NADWAN Railway station is free from villages # There are following reasons for airport to be made in above area: Ø There is not any village in this area. Ø The danger of High tension wire is also not there. Ø The railway station is near to the area. Ø The national highway is also near from this area. Ø That area is bigger than Punpun area.	i) Airport के लिए दर्शाया गया Location, Airport zone के रूप में चिन्हित है। इसमें Airport Related Activites Permissible है। इसके अन्तर्गत अवस्थित गाँवों को बिना हटाये एवं इन गाँवों के Expansion को ध्यान में रखते हुए Runway Alignment एवं Airport तथा Airport Related Activities , यथा Airport Related Industries, Warehousing, Logistic Hub, Hotels के Permission के साथ इस क्षेत्र का विकास करने की अनुशंसा की जाती है।

*Te Bishw*  

71	17	ललित कतरुका (lalitkataruka@yahoo.co.in)	रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट के निकट Commercial land use को चिह्नित करने के संबंध में।	यह इलाका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों, जैविक उद्यान, वर्तमान हवाई अड्डा, वेटनरी कालेज के आसपास है। इसे व्यवसायिक Landuse के अन्तर्गत रखना युक्तिसंगत नहीं होगा।
72	18	दीपक वर्मा (dkbaxivant@gmail.com)	वर्ष 2047 के लिए मास्टर प्लान बनाने के संबंध में।	मास्टर प्लान, 2031 के लिए तैयार किया गया। मास्टर प्लान, UDPFI Guidelines के आलोक में बीस वर्ष तक की अवधि के लिए तैयार किया गया है।
73	19	ऋतिका कुमारी (ritikakumari255@gmail.com)	बोरिंग/पाटलीपुत्रा रोड को व्यवसायिक क्षेत्र के रूप में चिह्नित करने के संबंध में।	इस इलाके में व्यवसायिक गतिविधियाँ हो रही हैं। आपत्ति के आलोक में मास्टर प्लान में सुधार किया जा सकता है।
74	20	कैप्टन रजनीश कुमार (ramesh ranjan@gmail.com)	बोरिंग/पाटलीपुत्रा रोड Commercial area के रूप में चिह्नित करने के संबंध में।	इस इलाके में व्यवसायिक गतिविधियाँ हो रही हैं। आपत्ति के आलोक में मास्टर प्लान में सुधार किया जा सकता है।
75	44	मधुकर बरेरियामnbareria84@yahoo.com	<p>आलमपुर बंका घाट को क्षेत्र के संबंध में।</p> <p>We have gone through the proposed Master Plan - 2031 issued by your department along with proposed land use Plan. Your proposed land use plan does not reflect the ground realities of existing use of land by our industrial unit which is situated at Alampur, Near Bankaghat Railway Station at NH-30 and our industrial unit is working at this land since last forty years. Your above proposed Master Plan - 2031 has shown the area Alampur, Bankaghat under deep green colour i.e. "Forest Zone" and for this purpose we are filing our objection as under :- That our Industry M/s Lucky Biscuit Company is situated near Bankaghat Railway Stations since 1972 under Plot No. 971, 972, 974, 975, 976, 1016 &amp; 1017, Khata No. 406, 407, 408 and 726, Thana No. 44, Mauza - Alampur. Our aforesaid Land Plot is used for Industrial/Commercial and as well as Residential purpose.1. That all the concerned department has granted registration and licenses for the above manufacturing purpose at Bankaghat, Patna City i. e. (1) License under Factories Act. (2) Registration under Central Excise Act, (3) Registration under Commercial Tax, (4) Consent for Air &amp; Water Pollution by Bihar State Pollution Control Board, (5) The Factory map has been approved by the Chief Inspector of Factories, Bihar.2. That the local area of Bankaghat has neither the forest nor the mountain any where. The place is on the bank of river "Ganga" and in another side there is Railway line divided by the NH - 30.3. That the area Alampur, Bankaghat has so many Industrial unit besides our "Lucky Biscuit Company" and the local resident has not raised any objection for the said Industrial units.4. That the almost all industrial unit in Patna City is situated at Sabalpur or Bankaghat area under the Alampur mauza and all the Govt. Department specially the Chief Inspector of factories has granted the license and approved the map for this purpose after considering all the aspect as laid down under the said Act. The Bihar State Pollution Control Board has issued the Air and Water Consents after due verification of the area. The area Bankaghat is connected with NH-30 with one side and Bankaghat Railway Station on another side and is a fit place for the industrial unit. Looking all the above aspect your opinion to declare this area in your map as "Forest Zone" instead of Industrial belt seems to be wrong and if the same has not been changed the lively hood of thousands of people directly or indirectly engaged /depending on these industrial unit will be paralyzed. In view of the above facts &amp; circumstance this is our humble request to re-consider our objection and revise your Land use Plan.</p>	<p>पूर्व से अवस्थित Non Conforming Existing Landuse यथावत रहेंगे। फॉरेस्टर जोन के स्थान पर पूर्व के मास्टर प्लान के लैंडयुज यथावत रखने पर विचार किया जा सकता है।</p>

76	126	प्रीति कुमारी,avinash86055@yahoo.com H/o- K.P. Sing, 2/171, G.D. Mishra Path, New Patliputra Colony, Patna Sub.- Boring Road ds क्षेत्र को Commercial करने के संबंध में।	I would like to draw your kind attention that the draft plan has mentioned that the Boring Road has been proposed as commercial use on both sides up to Water tower of New patliputra Colony, rather it is going straight into the colony, which definitely is not a commercial area, whereas the road taking a slight turn from there (i.e. from the corner of A N College) and going to Patliputra Colony Chowraha, (via CISF Office – Old Raj Chikistalay – AlpanaMarket) has been left as residential use. The fact is that this abovementioned road is purely a commercial network and connects the Boring road to the Mall Area as well as IIT institutional area. Plots lying on both sides are purely of commercial potential and should have been marked as proposed commercial use. I am the owner of one such plot (Plot No – 1046 & 1487, Ward – Mainpura, Zone - Western North, New Patliputra). I, therefore request you, to kindly consider the above facts and direct the office to make requisite changes to allow commercial activity on the abovementioned road in general and plot in particular	इस इलाके में व्यवसायिक गतिविधियाँ हो रही हैं। आपत्ति के आलोक में मास्टर प्लान में सुधार किया जा सकता है।
77	20	कैप्टन रजनीश कुमार (ramesh ranjan@gmail.com)	बोरिंग/पाटलीपुत्रा रोडCommercial area के रूप में चिह्नित करने के संबंध में।	इस इलाके में व्यवसायिक गतिविधियाँ हो रही हैं। आपत्ति के आलोक में मास्टर प्लान में सुधार किया जा सकता है।
78	21	sk karambir skkarambir@gmail.com	सोनपुर के part को मास्टर प्लान में शामिल करना।	सोनपुर एवं वैशाली का मास्टर प्लान अलग से तैयार किया जा रहा है।
79	79	डॉ० रवि कुमार पटना मेडिकल कॉलेज, पटना	हाजीपुर को मास्टर प्लान में शामिल किया जाय एवं व्यवस्था सही किया जाय। ओभर ब्रिज के नीचे ग्रिन बेल्ट का विकास एवं पार्किंग का व्यवस्था किया जाय। फुटपाथ रोड से ज्यादा ऊँचा न हो। बरसात के पानी के लिए बिच बिच में गढ़ा बनाया जाय, जिससे कि पानी रोड पर जाम नहीं हो।	हाजीपुर का मास्टर प्लान अलग से तैयार किया जा रहा है।
80	80	विनोद कुमार चौधरी vinodkumar chaudhary7@gmail.com	L.P.G गैस गोदाम हेतु मास्टर प्लान में क्षेत्र Provision करने के सम्बन्ध में।	एल०पी०जी० गोदाम के लिए मास्टर प्लान में अलग से चिह्निकरण युक्तिसंगत नहीं होगा। जिन भूमि उपयोग में एल०पी०जी० गोदाम की अनुज्ञा दी जा सकती है, उसका उल्लेख बिहार भवन उपविधि, 2014 में है।

*(Handwritten signatures and initials)*

81			<p>which has created a problem for daily Halla-Gulla and there is apprehension of breach of peace among them.</p> <p>That against the general order of the Hon'ble High Court not to keep Khatal in Mohalla and store cowdung in Mohalla the said Ram Pravesh Rai is doing that and creating Nuisance.</p>	
82	144	<p>राकेश रोशन rakesh.r2526@gmail.com Sub.- Expansion of Patna</p>	<p>I would like to convey my views on the development of patna. At the present patna is hugely crowded and it really need to be expand. The space outside the patna is almost vacant and there is very less crowd out there. people dont want to be there only because they want to remain in the city and the reason is obvious that no such facilities are out there. recently. I had a visit out there in opposite of bypass and found that a bit of rush is approaching there and that is really good for the real development of patna. I would like to say that the development there should be initialized with proper management. there are few schools out there near jaganpura and hospitals also and that need to be expand and managed properly.</p>	<p>जनसंख्या घनत्व के भार को कम करने हेतु पटना के क्षेत्र का विस्तार किया गया है। पटना मास्टर प्लान, 2031 का प्रारूप 1167 वर्ग किमी० के विस्तारित क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है।</p>
83	148	<p>Project Director, BUIDCo bdmuzaffarpur@buidco.in Sub.- Great Master Plan</p>	<p>This is a great news that our town is in Master Plan. The draft of master Plan may give better township for local people.</p>	<p>सेटलाईट टाउनशिप का प्रावधान मास्टर प्लान में किया गया है।</p>
84	64	<p>शशिमूषण कुमार drshashipatna@gmail.com</p>	<p>2.5 कठ्ठा में मकान की सुविधा का सुझाव।</p>	<p>इससे सम्बन्धित प्रावधान बिहार भवन उपविधि, 2014 किए गए हैं।</p>
85	65	<p>चन्द्र प्रकाश cprakash505@gmail.com</p>	<p>20 फीट चौड़ी सड़क पर मकान की उँचाई 11 मीटर फिक्स करने हेतु सुझाव</p>	<p>इससे सम्बन्धित प्रावधान बिहार भवन उपविधि, 2014 किए गए हैं।</p>
86	84	<p>विशाल सिंह v.singhvishal@gmail.com</p>	<p>Feedback : The requirement of getting the layout approved for G+2 buildings greater than 2.5 katha land should be removed. Currently no approval of layout is proposed for land upto 2.5 kathas. It will not make any difference if the larger (&gt; 2.5 katha) land is also exempted</p>	<p>इससे सम्बन्धित प्रावधान बिहार भवन उपविधि, 2014 किए गए हैं।</p>
87	145	<p>सुनील कुमार सिंह sunkum1961@gmail.com Sub.- Related with Bye Lawys</p>	<p>My view is as such that general public must be taken careoff in regards to construction.. that 20ft road g plus 4,....30ft. G plus 5 and 40 ft. G plus 6. &amp; so on . Thanks for cpsulting us.</p>	<p>इससे सम्बन्धित प्रावधान बिहार भवन उपविधि, 2014 किए गए हैं।</p>
88	167	<p>सुनील कुमार सिंह sunkum1961@gmail.com Sub.- Building Height permission on Road Width</p>	<p>General public must be taken care off that they should get atleast 20ft road g plus 4, 30ft.g plus 5, 40ft. G plus 6 and so on. One should not get affraid off height and construction quality.</p>	<p>इससे सम्बन्धित प्रावधान बिहार भवन उपविधि, 2014 किए गए हैं।</p>

23

89	172	अमन कुमार birlaschoolpatna@yahoo.com COO Open Minds - A Birla School Lane no.6 Bailey Road Patna. Sub- Danapur रेलवे स्टेशन से सगुना मोड़ तक Commercial Zone बनाने के संबंध में।	The road from the Saguna more to Danapur Railway station should be listed on or taken into a commercial zone .	क्रमांक-170 की पुनरावृत्ति।
90	32	पंकज सिंह, pankaj.kumar504511@gmail.com	Airport का एरिया गाँव को छोड़कर किया जाए।	i) Airport के लिए दर्शाया गया Location, Airport zone के रूप में चिन्हित है। इसमें Airport Related Activities Permissible है। इसके अन्तर्गत अवस्थित गाँवों को बिना हटाये एवं इन गाँवों के Expansion को ध्यान में रखते हुए Runway Alignment एवं Airport तथा Airport Related Activities , यथा Airport Related Industries, Warehousing, Logistic Hub, Hotels के Permission के साथ इस क्षेत्र का विकास करने पर विकास किया जा सकता है।
91	33	अमित कुमार, kkrमित@gmail.com	मैनपुरा पटना के साफ-सफाई आदि के संबंध में।	यह नगरपालिका प्रशासन से सम्बन्धित है।
92	34	K.D Sharma, AITP sarwajyakumar<samajya@gmail.c om	जनसंख्या एवं घनत्व के संब में land use location आदि के संबंध में सुझाव	Landuse Location से सम्बन्धित प्रस्ताव UDPFI Guidelines एवं अन्य Planning Standard के आधार पर किया गया है एवं जनसंख्या एवं जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है।
93	105	सुरज sksuraj428@gmail.com	Hello sir, I would like to give my feedback on PMP [Patna Master Plan]. Everything in this plan is good, but This plan should not be PMP2031, It should be Patna Master Plan2020. Mean I want to say that this plan must be developed till 2020.	मास्टर प्लान अवधि का विस्तार 2031 तक के लिए किया गया है।
94	7	ललित कातरुका Lalitkataruka@yahoo.co.in	इन्टरनेट पर दिया गया मैप बहुत छोटा है।	मास्टर प्लान का पूरा detail विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया गया है एवं इसके मैप एवं रिपोर्ट से सम्बन्धित जानकारी विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
95	100	डॉ० अमित कुमार dramit.kgm@gmail.com	It is my humble opinion that there should be complete accessibility for people with disability to public places, public transport and all the government buildings in line with international standards as required by UN Convention which has already been ratified by india. thanks and regards. Dr. Amit Kumar, Patna	इससे सम्बन्धित प्रावधान बिहार भवन उपविधि, 2014 किए गए हैं।
96	102	राकेश कुमार rswp2009@gmail.com	I seen your proposed master plan, i am happy to see your plan and appreciate to all concerned persons which is make this master plan. Patna is a capital of bihar, population and traffic are growth within 5 to 10 year, so this plan almost control to load on the city and i hope Patna is a make green, clean, peace, educated, healthy and systematic city.	पटना मास्टर प्लान के द्वारा Green, Clear Peace city बनाने के प्रयास की सराहना की गई है।